न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी – अजंली राजेरिया (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र – 39/2018

मानी व अन्य **बनाम** शंकर व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश **दिनांक 18.12.2018**

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित जिन्हें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण के वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये स्वीकार किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर में स्थित वर्किंग खसरा नम्बर 376 रकबा 0–10–0 आधारभूत खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.08 है, वर्किंग खसरा नम्बर 367 रकबा 0–17–0 आधारभूत खसरा नम्बर 1140 रकबा 0.14 है, वर्किंग खसरा नम्बर 388 रकबा 0–15–0 आधारभूत खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.12 है, वर्किंग खसरा नम्बर 389 रकबा 0–3–0 आधारभूत खसरा नम्बर 1138/2441 रकबा 0.02 है, वर्किंग खसरा नम्बर 390 रकबा 0–4–0 आधारभूत खसरा नम्बर 1138 रकबा 0.03 है, है। प्रार्थीयागण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 श्री लादू पुत्र श्री लाखा के वारिस होकर एक ही परिवार के सदस्य है जिनका विवादित भूमि में 1/7–1/7 हिस्सा निहित है। अधिकार अभिलेख में लादू पुत्र लाख की विरासत तन्हा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के नाम दर्ज कर दी गई जिन्होने गैर कानूनी रूप से विवादित भूमि में निहित अपने हिस्से से अधिक भूमि का अप्रार्थीया संख्या 3 को वादग्रस्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 376 रकबा 0–10–0 बीघा के नये खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.08 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 387 रकबा 0–17–0 बीघा के नये खसरा नम्बर 1140 रकबा 0.14 हैक्टर का विकय जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 4.11.2010 को कर दिया गया है जिससे उक्त विकय पत्र प्रार्थीयागण के हक, अधिकार एवं स्वत्वों

Scanned with CamScanner

पर बातिल व बेअसर होकर शून्य प्रभावी है जिससे प्रत्येक प्रार्थीया का 1/7:1/7 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात है जिस पर उक्त वर्णित पक्षकारान श्री लादू के वारिस होकर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है एवं आज दिनांक तक बंटवारा नही हुआ है। चूकि वर्तमान रिकार्ड में प्रार्थीयागण का नाम दर्ज नही होकर विवादित पुश्तैनी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के नाम दर्ज कर देने एवं उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को विकय कर देने से अप्रार्थीगण ने प्रार्थीयागण की उनके हिस्से की भूमि से महरूम करने के इरादे से खेत जोतने , बोने, निराई गुडाई करने, फसल काटने तथा लगान जमा कराते समय अर्थात प्रत्येक समय झगडे व फसाद करना प्रारम्भ कर दिया है जिससे अब संयुक्त काश्त किया जाना संभव नही है । अतः भूमि की किस्म मूल्य व लगान के आधार पर रिकार्ड तथा मौके पर न्यायिक बंटवारा किया जाना वांछित है। वर्तमान रिकार्ड में तन्हा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के नाम दर्ज होने से वे प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त में दखंलदांजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखल करने का नाजायज प्रयास करने, जबरन अतिकमण करने, अन्यत्र रहन, बेचान मुन्तकिल करने पर सख्त आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थीयागण अपनी पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की भूमि से कहरूम हो जायेगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखली का नाजायज प्रयास करने एवं भूमि की किस्म तथा शक्ल परिवर्तित करने, रहन बेचान मुंतकिल या अन्यथा प्रकार से प्रार्थीयागण को हिस्से की भूमि से महरूम करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबन्द फरमाया जावे।

अप्रार्थी 1 लगायत 2 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीयागण द्वारा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अंकित किये गये है । प्रार्थीयागण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होकर प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 3 के नोटिस पर तामिली कुलेन्दे की रिपोर्ट हे कि लेने से इन्कार व दो गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। अतः अप्रार्थी संख्या 3 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस को सुनते हुये पत्रावली का अवलोकन किया ओर पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि प्रार्थीयागण वर्तमान में विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदान नही होकर अप्रार्थी संख्या 03 रिकार्डेड खातेदार है जिसको अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा भूमि का विक्रय 2.11.2010 को किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 को भूमि विक्रय कि जाकर कब्जा भी संभला दिया गया है। जबकि प्रार्थीयागण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है जिससे वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि को उनका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त विघमान रहा हो । प्रार्थीयागण का विवादित भूमि में पेतृक रूप से हक अधिकार निहित करता है अथवा नही यह मूल वाद में निर्णित किये जाने की विषय वस्तु है। परन्तु वर्तमान स्तर पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रतीत नही होता हे साथ ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेघाज्ञा प्रसारित की जाती है तो तुलनान्त्मक क्षति प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थी संख्या 03 को कारित होगी । अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में विघमान नही होने से प्रार्थीगण का अस्थाई निषेघाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

अतः प्रार्थीयॉगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.12.2018 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अंजली राजोरिया
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner